



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कमासिन की पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्त के कब्जे से 1600 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना कमासिन पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति सूखा गांजा मोटरसाइकिल से इटर्ला बार्डर होते हुए कमासिन व आस-पास जगहों में ले जा कर विक्रय करता है । सूचना पर पुलिस द्वारा इटर्ला बार्डर में चेकिंग लगाकर एक संदिग्ध व्यक्ति को इटर्ला पुल के पास रोक लिया गया । व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल की डिग्गी से अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ । पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना कमासिन में अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 1600 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील पुत्र मूलचन्द्र निवासी ओझानगर लोहरा थाना कमासिन जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 344/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण प्रताप सिंह
2. हे0 कां0 पंकज कुमार